राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 734वी बैठक दिनांक 02.07.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 734वी बैठक दिनांक 02.07.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री विकास मिश्रा, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9209/2022	1(a)	बाक्साईट, आकर, व्हाईट अर्थ खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
2.	9213/2022	1(a)	आकर, व्हाईट अर्थ, बाक्साईट, लेटेराईट एंव सिलिका सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	9216/2022	1(a)	बाक्साईट, व्हाईट अर्थ, आकर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9217/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्पष्टीकरण
5.	9218/2022	1(a)	व्हाईट क्ले खदान	For ToR	स्पष्टीकरण
6.	9211/2022	5(f)	एपीआई इन्टरमिडियेट्स	For ToR	ToR स्वीकृत
7.	9201/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	9202/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	8689/2021	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
10.	9234/2022	1(a)	लेटेराईट खदान	For ToR	Delist एवं स्पष्टीकरण
11.	9236/2022	1(a)	लेटेराईट खदान	For ToR	Delist एवं स्पष्टीकरण
12.	9239/2022	1(a)	लाईमस्टोन एंव डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
13.	9240/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्पष्टीकरण
14.	9232/2022	1(a)	पत्थर एंव मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
15.	9238/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
16.	9235/2022	1(a)	पत्थर, एम–सैण्ड एंव मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
17.	9241/2022	3(b)	सीमेन्ट ग्राडिंग यूनिट	For ToR	ToR स्वीकृत

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

18.	9229/2022	1(a)	पत्थर एंव मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
19.	9233/2022	1(a)	पत्थर एंव एम–सैण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
20.	9242/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
21.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला उमारिया (म.प्र.)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
22.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रतलाम (म.प्र.)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
23.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला धार (म.प्र.)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
24.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला देवास (म.प्र.)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
25.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिंगरौली (म.प्र.)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत

1. **प्रकरण क्र. 9209/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जयलाल भरतलाल, कुम्हरा जुड़वानी बाक्साईट, आकर, व्हाईट अर्थ माईन, निवासी 26/52, अलफरातगंज, मधाई का बगीचा, बी. डी. अग्रवाल वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट, आकर, व्हाईट अर्थ खदान, उत्पादन क्षमता बाक्साईट 29627 टन प्रतिवर्ष, मिनिरल रिजेक्ट 7406 टन प्रतिवर्ष, ओवरबर्डन 1389 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.73 हेक्टेयर, खसरा 43 भाग, ग्राम – कुम्हरा जुड़वानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(v) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vi) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(vii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(viii) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(ix) खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में 20 मीटर पर आबादी / बसाहट है, अतः संरक्षण योजना ईआई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(x) चूँकि खदान पहाड़ी के ऊपर (लगभग 45 मीटर) स्थित है, अतः रन ऑफ मैनेजमेंट प्लांन ईआई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xi) लीज क्षेत्र के अंदर से पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पश्चिमी भाग से होते हुए उत्तरी भाग तक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xii) खदान के दक्षिण भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xiii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xiv) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

(xv) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvi) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 9213/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राकेश एजेंसी, निवासी 26/52, अलफरातगंज, मधाई का बगीचा, बी.डी. अग्रवाल वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा आकर, व्हाईट अर्थ, बाक्साईट, लेटेराईट व सिलिका सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता बाक्साईट 3981

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 32711 टन प्रतिवर्ष, ओवरबर्डन 12172 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.14 हेक्टेयर, खसरा 96/1, ग्राम – सिद्धा कोठार, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(v) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vi) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(vii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(viii) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(ix) खदान के पूर्व दिशा में 340 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के उत्तर भाग से 120 मीटर दूरी पर कच्चा रास्ता निकल रहा है एवं पश्चिम दिशा में 45 मीटर पर 45 मीटर पर पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(x) खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xi) वन मण्डलाधिकारी के पत्र कमांक 2030 दिनांक 19/02/21 के अनुसार आवेदित क्षेत्र बीट पिपरीटोला के वन क्षेत्र कमांक पी–823 की वन सीमा से 214 मीटर दूर स्थित है, इस बावत् संभागायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की खनन् बावत् अनुशंसा एवं ग्राम सभा की एनओसी ऑन लाईल अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xii) आवेदित स्थल टाईगर मूवमेंट एरिया से बाहर है, के संबंध में वन मंडला अधिकारी (डी.एफ. ओ) का प्रमाण–पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xiii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xiv) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

(xv) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvi) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 9216/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राकेश एजेंसी, निवासी 26/52, अलफरातगंज, मधाई का बगीचा, बी.डी. अग्रवाल वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट, व्हाईट अर्थ, आकर खदान, उत्पादन क्षमता बाक्साईट 8061, टन प्रतिवर्ष, आकर 9620, टन प्रतिवर्ष, मिनिरल रिजेक्ट 4138, ओवरबर्डन 3515 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.95 हेक्टेयर, खसरा 1 भाग, ग्राम – चित्ती जागीर, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(v) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vi) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(vii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(viii) खदान के पूर्वी भाग में खनन् क्षेत्र के लगभग आधे भाग में आबादी है, अतः इस आबादी हेतु संरक्षण योजना तथा विस्तृत आर. एण्ड आर. योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(ix) आवंटित क्षेत्र के बीच में से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इसके सरंक्षण की योजना प्रस्तुत की जाये ।

(x) खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xi) ग्राम सभा की एनओसी ऑन लाईल अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xiii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

(xiv) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xv) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 9217/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ताल मिनरलर्स, निवासी 7/26, तिलक वार्ड, सिविल लाईन, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 60899 टन प्रतिवर्ष व माईन वेस्ट 1209 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.45 हेक्टेयर, खसरा 30, 32, 36 भाग, 46, 47, 48, 49, 50, ग्राम – भवंरताल, तहसील बिछिया, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशाश की KML फाईल अपलोड नहीं की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा 07 दिवस में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन खनन क्षेत्र की अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार KML फाईल अपलोड की जाये, तदानुसार प्रकरण में पुर्नविचार किया जायेगा।

5. प्रकरण क्र. 9218/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीकृष्णदास टीकाराम, निवासी सिविल लाईन, वार्ड. न. 31, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा व्हाईट क्ले खदान, उत्पादन क्षमता व्हाईट क्ले 46138 टन प्रतिवर्ष व लेट्राइटिक स्वाईल 21295 घनमीटर प्रतिवर्ष व माईन वेस्ट 5768 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.185 हेक्टेयर, खसरा 231/1, ग्राम खोमरहा, तहसील रामनगर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न वनमण्डलाधिकारी सतना के पत्र क्र. 3390 दिनांक 30.06.2019 अनुसार 60 मीटर पर वनक्षेत्र होना बताया गया है जिसमें संभागायुक्त वन समिति की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वनक्षेत्र की संभागायुक्त वन समिति से अनुशंसा प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार प्रकरण में पुर्नविचार किया जायेगा।

6. **Case No 9211/2022:** Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates (Production Capacity – 1839 MTPA, By Product – 3855.69 MTPA) at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP) by M/s ANGEEL OAK Speciality Chemtech Pvt. Limited, 218, Shekhar Central, 4-5, Manoramaganj, Near Palasia Square, Dist. Indore, MP - 452001,

   1. This is case of Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP).

   2. The case was presented by the PP and their consultant in 579th SEAC meeting dated 17.06.2022 and recommended for ToR and mintues is mentioned in the pg. no. 19 to 22. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion in detail decided to approve the ToR as recommended by SEAC and issue additional TOR by incorporating following points for preparation of EIA report:

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

a) Details of unit located adjacent to the project site.

b) Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

c) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

d) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

e) Storm water management plan should be planned and discussed in EIA.

f) Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.

g) Management of odourshould be planned and discussed in EIA

h) Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

7. **प्रकरण क्र. 9201/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विध्य माईनिंग वर्क्स, पार्टनर, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, निवासी 9–एफ, एच–3, 154 सेक्टर–09 ओबरा, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 18125 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 827, ग्राम गांगी, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में खदान क्षेत्र से कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xvi) खदान क्षेत्र में बिखरे (स्केटर्ड) हुए आवासीय मकान दिख रहे है जिनकी संरक्षण की उपाय ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

(xvii) चूँकि खदान पहाड़ी के ऊपर स्थित है, अतः रन ऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xviii) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xix) खदान पहाड़ी पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन हेतु प्रस्तावित मार्ग मय ग्रेडियंट के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये।

(xx) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xxi) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxii) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxiii) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxiv) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. 9202/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री रामसखा वर्मा आत्मज के. एल. वर्मा, ग्राम संदौह, तहसील त्यौथर, जिला रीवा (म.प्र.)–486220 द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 14999 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 79 भाग, ग्राम सरदामन, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 210 मीटर पर आबादी है तथा पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvi) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xvii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xviii)रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xix) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xx) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. 8689/2021** परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मिथलेश सिहं पत्नी नवल सिंह, ग्राम प्रकाश बम्होरी, तहसील गौरीहर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 4,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.659 हेक्टेयर, खसरा 285, ग्राम गुमानपुरा, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) खदान के पूर्वी क्षेत्र में 130 मीटर दूरी पर नदी निकल रही है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xvii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xviii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xix) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xx) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxi) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 9234/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल, निवासी ए.टी. एण्ड पोस्ट, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, उत्पादन क्षमता 26611 टन प्रतिवर्ष, रकबा

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7.025 हेक्टेयर, खसरा 4/1क, ग्राम कठारा कोठार, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर से व लीज बाउण्ड्री से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है तथा लीज क्षेत्र के अंदर मकान भी होना परिलक्षित है। सीपीसीबी के दिशा निर्देश एवं माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। अतः माननीय एनजीटी के उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित दूरी के मापदण्ड के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में न्यूनतम क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से 15 दिवस में उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत लिया जाये कि इस तरह के प्रकरण में न्यूनतम खनन क्षेत्र पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. 9236/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल आत्मज श्री विश्वनाथ अग्रवाल, निवासी– ए.टी. एण्ड पोस्ट, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, उत्पादन क्षमता 32384 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.761 हेक्टेयर, खसरा 839 भाग, ग्राम कारीगोही, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के बीचोबीच रोड़ निकल रहा है तथा लीज क्षेत्र के मानव बसाहट व कन्टूर ट्रेन्चस होना भी परिलक्षित है। सीपीसीबी के दिशा निर्देश एवं माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। अतः माननीय एनजीटी के उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित दूरी के मापदण्ड के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में न्यूनतम क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से 15 दिवस में उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत लिया जाये कि इस तरह के प्रकरण में न्यूनतम खनन क्षेत्र पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. **प्रकरण क्र. 9239/2022** परियोजना प्रस्तावक संचालक, मेसर्स प्रांजल एग्रोटेक प्रा. लि., एम.आई जी. – II, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 11148 टन प्रतिवर्ष एवं डोलोमाईट 60102 टन प्रतिवर्ष, रकबा 2.109 हेक्टेयर, खसरा 22, 31 ग्राम सेझा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(v) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vi) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vii) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(viii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(ix) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(x) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xi) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xii) प्रश्नाधीन खदान खदान के पश्चिमी भाग से होकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xiii) खदान के दक्षिण दिशा में 540 मीटर पर एक तालाब है तथा उत्तर दिशा में 360 मीटर पर आबादी है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xiv) आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ माइंड आउट पिट दिखा रहे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रॉस्पेक्टिंग पिट्स है जो काफी पुराने हैं, अतः इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रमाण–पत्र ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

(xv) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xvi) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xvii) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xviii) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xix) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

13. **प्रकरण क्र. 9240/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री के. प्रभाकर राव, निवासी बछरवाड़ा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 58607 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.50 हेक्टेयर, खसरा 10, 127, 128, 129, ग्राम जमुनिया, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्र. 1340 दिनांक 25.05.2022 अनुसार प्रस्तावित खदान वनक्षेत्र के 250 मीटर की परिधि के अन्दर स्थित है जिसकी अनुशंसा संभागायुक्त वन समिति जबलपुर दिनांक 03.03.2017 में प्राप्त की गई थी, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र के अंदर होना परिलक्षित है।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः उक्त प्रकरण में कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी जिला कटनी से उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र के अंदर स्थित है अथवा नहीं तथा वन क्षेत्र की दूरी प्रस्तावित खदान से कितनी है। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 9232/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री संभव तिवारी आत्मज श्री विनीत तिवारी, निवासी वार्ड न. – 2, सिविल लाईन, नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 87504 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.10 हेक्टेयर, खसरा 19, 24, ग्राम मानेगॉव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 495 मीटर पर हाईवे है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 320 मीटर तथा दक्षिण दिशाा में 460 मीटर पर आबादी/शैक्षणिक संस्थान/प्राथमिक शाला/ऑगनवाडी है, जिसके संरक्षण की योजना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xvii) वर्तमान में खदान के एक हिस्से में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लॉन ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

(xviii) माइन प्लॉन में मेटल स्टोन – 70,003 घनमीटर एवं मुरूम – 17,501 घनमीटर है, दोनों को मिलाकर 87,504 घनमीटर/वर्ष होता है, जबकि फार्म–2 में मेटल स्टोन–87,504 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति चाही है, इस संदर्भ में स्थिति ई.आई.ए में स्पष्ट करें।

(xix) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xx) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxi) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxii) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxiii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 9238/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रायसिंह एण्ड कम्पनी, पार्टनर, श्री दिलीप मसकरे, निवासी वार्ड–न. 26, प्रेमनगर, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 15200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम बेनेगॉव, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित फोटोग्राफ एवं ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvii) सरफेस रनऑफ मैनेजेंमेंट प्लॉन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xviii) प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 270 मीटर पर तालाब तथा दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xix) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाय़े तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xx) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxi) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxii) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxiii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. 9235/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.एस.आई, स्टोनवर्ल्ड प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री जगदीश सिंह, निवासी ई–7, एम. 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एम–सैण्ड एंव मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 140000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम–सैण्ड 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष एंव मुरूम 8800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, ग्राम कम्पैल, तहसील कुडैल, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 150 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvii) एम–सेंड प्लांट के ले–आउट को सरफेस मेप पर दिखाया जाये तथा एम–सेंड प्लांट में प्रस्तावित तकनीक एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xviii) एम–सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।

(xix) एम–सेंड प्लांट के परिप्रेक्ष्य में पॉवर रिक्यारमेंट तथा वाटर डिमांड की पुनरीक्षित गणना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xx) प्रश्नाधीन खदान के उत्तर में 50 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा पूर्व दिशा में 560 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxi) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xxii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxiii) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxiv) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xxv) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

17. **Case No. - 9241/2022** Environment Clearance for Cement Grinding Unit, Capacity-300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Joura,

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Dist. Morena, (MP) by M/s J.P. Minerals Industries, Smt. Renu Bansal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP – 476001.

1. प्रकरण सीमेंट ग्राईंड़िग यूनिट के लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत् विचाराधीन है।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEIAA) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 16 से 20 पर अंकित है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।
- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा।
- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- Study the socio-economic condition of the project area and its surrounding and their impact on the project design and operation.
- Project proponent shall explore feasibility to install as maximum as possible solar power / lighting systems within premises.
- Layout maps indicating existing unit as well as proposed unit indicating storage area, plant area, green belt area and utilities etc. should be submitted with EIA report.

18. **प्रकरण क्र. 9229/2022** परियोजना प्रस्तावक गोपाल रघुवंशी आत्मज श्री नारायण रघुवंशी. निवासी ग्राम बरदारी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर एव मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 165/1 पैकी, ग्राम कल्याणसीखेडी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xviii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xix) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xx) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxi) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

19. **प्रकरण क्र. 9233/2022** परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रूपाली कुमावत पत्नी श्री कमलेश कुमावत, निवासी जनता कालोनी, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एंव एम–सैण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष व एम–सैण्ड 20400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा 3/4, ग्राम डोडियामीणा, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) खदान के पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xvi) एम–सेंड प्लांट के ले–आउट को सरफेस मेप पर दिखाया जाये तथा एम–सेंड प्लांट में प्रस्तावित तकनीक एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvii) एम–सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।

(xviii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xix) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xx) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxi) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

20. **प्रकरण क्र. 9242/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स भेड़ाघाट माईनिंग प्रोपराईटर, श्रीमती मिनी अग्रवाल, निवासी 455/2, गढाफाटक रोड़, लाल स्कूल के पास, जवाहरगंज वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 12004 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा 29/1, 29/2, ग्राम ऐटाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(v) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(vi) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vii) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(viii) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(ix) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(x) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xi) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xii) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xiii) खदान के पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xiv) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xv) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xvi) आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा से एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर से निकल रहा है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvii) खनन् योजना के को–आर्डिनेट के बिंदु 1, 14, व 15 (जो वन क्षेत्र के समीप प्रतीत हो रहे हैं) की वन विभाग से पुष्टि करायें कि यह वन सीमा से कितनी दूरी पर है ।

(xviii) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xix) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
(xx) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

21. **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला उमरिया (म.प्र.) (रेत खनिज हेतु) के अनुमोदन बावत् :-**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579वीं बैठक दिनांक 17.06.2022 में जिला उमरिया की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 579वी बैठक दिनांक 17.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, उमरिया एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

22. **नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – जिला रतलाम के अनुमोदन बावत् :-**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579वीं बैठक दिनांक 17.06.2022 में जिला रतलाम की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 579वी बैठक दिनांक 17.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, रतलाम एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

23. **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – धार (संशोधित).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में जिला धार की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 579वी बैठक दिनांक 17.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, धार एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

24. **<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – देवास (म.प्र.)</u>**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में जिला देवास की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 579वी बैठक दिनांक 17.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, देवास एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

25. **<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सिंगरौली (म.प्र.).</u>**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में जिला सिंगरौली की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 579वी बैठक दिनांक 17.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, सिंगरौली एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष